



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2014/पौष 27, 1935

No. 23]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2014/PAUSHA 27, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 30(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 66 के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि 381(अ), तारीख 27 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (16) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(17) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग।”

[फा.सं. पी. 12011/2/2009-एस.ओ. (ई.एस. सैल)]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 381(अ) तारीख 27 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन संख्यांक सा.का.नि. 929(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि. 763(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2010, सा.का.नि. 957(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 2010 और सा.का.नि. 735(अ) तारीख 1 अक्टूबर, 2012 द्वारा किये गये ।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2014

G.S.R. 30(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of section 66 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006, namely:—

In the said notification, after serial number (16) and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

“(17) Competition Commission of India.”

[F. No. P.12011/2/2009-S.O.(E.S. Cell)]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 929(E), dated the 29th December, 2009, G.S.R. 763(E), dated the 15th September, 2010, G.S.R. 957(E), dated the 7th December, 2010 and G.S.R. 735(E), dated the 1st October, 2012.